भारत के संविधान निर्माण और डॉ0 अम्बेडकर

सुजीत कुमार 'राज'

डॉ0 अम्बेडकर की अपने समय के अन्य विचारकों से निराली विशेषता यह रही थी कि उन्होंने भारत की सबसे दलित, पीड़ित और पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ी थी। उन्होने हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा अंग्रेजों से लड़ी जा रही राजनैतिक सत्ता की लड़ाई को अछूतों के स्वतंत्रता संग्राम से भिन्न रखते हुए लिखा था–''भारत की आजादी की इस जद्दोजहद में यदि स्वतंत्रता का कोई हेतु बनता है तो वह अछुतों का हेतु है। हिन्दुओं का केस और मुसलमानों का केस वे स्वतंत्रता के लिए नहीं हैं। उनके संघर्ष स्वतन्त्रता से भिन्न सत्ता के लिए है।'' इस प्रकार, जब हिन्दुओं और मुसलमानों का अंग्रेजो से राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहा था तो डॉ0 अम्बेडकर ने तीन हजार वर्ष से भारत की कमजोरी और लुटी–पिटी जातियों की चहूँमुखी स्वतंत्रता का ऐतिहासिक युद्ध चलाया था। दरअसल में संविधान परिषद् के गठन के बाद कांग्रेस के शिखर–नेताओं में इस बात की चिन्ता धर कर गई थी कि आखिरकार संविधान निर्माण कार्य कैसे सम्पन्न किया जाए। जवाहर लाल नेहरू का पहले विचार था कि प्रसिद्ध संविधान–विशेषज्ञ सर आइवर जेनिंग्स की सेवाएँ ली जाए जो एशिया के कई देशों का संविधान लिख चुके थें। परन्तु, महात्मा गाँधी ने यह सलाह दी कि वे ऐसे संविधान विशेषज्ञ को जानते है जो भारत में मौजूद हैं और वह व्यक्ति हैं डॉ0 अम्बेडकर जो गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रतिभा का परिचय दे चुका है। इस प्रकार डॉ0 अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुने जाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई।